



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

जलेबी चौक, बड़ी चौपड, जयपुर



क्रमांक

अति० मुख् (उ०) / 2021 / 246

दिनांक: 21/10/21


कार्यालय आदेश

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के सभी कार्यक्रमों/बैठकों/अधिकारियों के कक्ष में की जाने वाली चाय-नाश्ते व जलपान की सीमा व्यय का निर्धारण निम्नानुसार माननीय महापौर महोदया/उपमहापौर महोदय/आयुक्त महोदय एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जायेगी:-

क्र. सं.	कार्यालय/बैठक/कार्यक्रम		अधिकतम सीमा प्रतिदिन/प्रतिमाह	
			कार्यालयों में	बैठकों के दौरान
1	माननीय महापौर	नगर निगम कार्यालय	1000 रु प्रतिदिन /अधिकतम 20,000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	20 रु प्रति व्यक्ति (चाय-नाश्ता,जल-पान)
		आवासीय कार्यालय	200 रु प्रतिदिन /अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	उपरोक्तानुसार
2	माननीय उपमहापौर महोदय		800 रु प्रतिदिन /अधिकतम 15000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	उपरोक्तानुसार
3	आयुक्त महोदय		800 रु प्रतिदिन /अधिकतम 15000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	20 रु प्रति व्यक्ति (चाय-नाश्ता,जल-पान)
4	अतिरिक्त आयुक्त		300 रु प्रतिदिन /अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	15 रु प्रति व्यक्ति (चाय-नाश्ता,जल-पान)
5	अति० मुख्य अभियन्ता		300 रु प्रतिदिन /अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	15 रु प्रति व्यक्ति (चाय-नाश्ता,जल-पान)
6	अति० मुख्य नगर नियोजक		300 रु प्रतिदिन /अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	उपरोक्तानुसार

7	मुख्य लेखाधिकारी	300 रु प्रतिदिन /अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, शीतल पेय इत्यादि)	उपरोक्तानुसार
8	समस्त उपायुक्त (केवल मु0 भवन कार्यालय के पदस्थापित)	150 रु प्रति दिन/ अधिकतम 3000 रु प्रतिमाह	उपरोक्तानुसार
9	अधीक्षण अभियन्ता	150 रु प्रति दिन/ अधिकतम 3000 रु प्रतिमाह	उपरोक्तानुसार
10	उप-विधि परामर्शी	150 रु प्रति दिन/ अधिकतम 3000 रु प्रतिमाह	उपरोक्तानुसार
11	बोर्ड की बैठक के दौरान	—	तत्समय जारी कार्यालय आदेशानुसार
12	कार्यकारीणी बैठक के दौरान	—	तत्समय जारी कार्यालय आदेशानुसार
13	नगर निगम द्वारा आयोजित शिलान्यास/लोकार्पण आदि कार्यक्रम	—	अधिकतम 3000 प्रति कार्यक्रम (चाय-नाश्ता की व्यवस्था)
14	विभिन्न नगर निगम युनियन कार्यालय	300रु प्रतिदिन/अधिकतम 5000 रु प्रतिमाह (चाय-नाश्ता,जल-पान, इत्यादि) प्रत्येक युनियन	

उपरोक्तनुसार सभी अधिकारीगण अपने कार्यालय से मांग एवं प्राप्ती आवश्यकतानुसार केयर-टेकर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। पानी की व्यवस्था पूर्वानुसार जारी रहेगी।
अतः उक्त आदेश माननीय महापौर महोदया एवं श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।




(आशीष कुमार)

RAS

उपायुक्त मुख्यालय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक मानीनीया महापौर/उपमहापौर महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. अधिशाषी अभियन्ता (मु0), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. केयर टेकर, निगर निगम जयपुर हैरिटेज।
6. रक्षित पत्रावली।



उपायुक्त मुख्यालय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज